संख्या- 67 /2018 / 815 /चार-2018 -40 (बजट)/ 2014

प्रेषक,

डा0 वन्दना वर्मा
विशेष सचिव ,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 30 मार्च, 2018

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में जनपद फैजाबाद में सांस्कृतिक मंच की स्थापना हेतु प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय अपने पत्र संख्या-3940(1)/सं0नि0-6(99)/2015-16 दिनांक 21 मार्च, 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में जनपद फैजाबाद में सांस्कृतिक मंच की स्थापना हेतु कार्यदायी संस्था-सी0एण्ड डी0एस0 जल निगम द्वारा धनराशि रू0 498.78 लाख का आगणन गठित कर उपलब्ध कराया गया है। इस सम्बन्ध में गठित विभागीय मूल्यांकन समिति द्वारा प्राप्त आगणन का परीक्षण करते हुए कार्य की मूल्यांकित लागत रू0 488.97 लाख निर्धारित की गयी है। अतएव वित्तीय वर्ष 2017-18 में जनपद फैजाबाद में सांस्कृतिक मंच की स्थापना हेतु रू0 488.97 लाख की प्रशासकीय तथा धनराशि रू0 464.00 लाख (रूपये चार करोड चौसठ लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी। उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि के सम्बन्ध में वित्त विभाग के मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों तथा व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

3- निदेशक, संस्कृति यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

4- यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

5- प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य /मद हेतु किया जायेगा।

6- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विवरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना /कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

7- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी -8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03 अगस्त, 2017 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के नियमों व इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों में दिये गये दिशा निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डडर्स आफ फाइनेशियल प्रोप्राइटरी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाएगा।

8- प्रश्नगत कार्य के अन्तर्गत समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों/वित्तीय नियमों का पालन किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था के मुख्य अभियन्ता स्तर के अधिकारी का होगा।

9 - प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकता अनुरूप कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोक अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।

10 - कार्यदायी संस्था द्वारा समय-समय पर वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को अवगत कराया जायेगा।

11 - उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक- 4202-शिक्षा, खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-04-कला तथा संस्कृति -800-अन्य व्यय-05-जनपद फैजाबाद में सांस्कृतिक मंच की स्थापना -24-वृहत निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

12- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई- 7- 314 /दस-2018 दिनांक 30 मार्च, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(डा0 वन्दना वर्मा)
विशेष सचिव

संख्या- /2018/ 815 /चार-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निदेशक, कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (उ0प्र0 जल निगम) लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रयक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग/नियोजन अनुभाग-4,
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 वन्दना वर्मा)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।